



बिहार लोक सेवा आयोग  
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001

संशोधित परीक्षाफल

LPA No- 38/2020 एवं सदृश वादों में दिनांक 06.02.2024 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में विज्ञापन संख्या-04/2007 (48वीं से 52वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा) के अधीन पूर्व प्रकाशित परीक्षाफल में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।

आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या-04/2007 (48वीं से 52वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा) का परीक्षाफल वर्ष 2010 में प्रकाशित किया गया था। उक्त प्रकाशित परीक्षाफल में तत्समय बिहार प्रशासनिक सेवा के पिछड़े वर्ग की महिला कोटि (BCL-06) के प्रथम अधिमानता का पद आवंटित नहीं किए जाने के कारण उक्त परीक्षा की पिछड़े वर्ग की महिला कोटि की तीन अभ्यर्थियों- सुश्री सुजाता सिंह, अनुक्रमांक-133704, सुश्री जागृति प्रभात, अनुक्रमांक-123246 एवं सुश्री रत्ना प्रसाद, अनुक्रमांक-288241 द्वारा उन्हें बिहार प्रशासनिक सेवा के पिछड़े वर्ग की महिला कोटि (BCL-06) के प्रथम अधिमानता का पद आवंटित करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No- 9176/2010 (Sujata Singh Vs The State of Bihar & Ors), CWJC No- 15004/2010 (Jagriti Prabhat Vs The State of Bihar & Ors) एवं CWJC No- 10616/2011 (Ratna Prasad Vs The State of Bihar & Ors) दायर किया गया था। विदित हो कि उक्त तीन अभ्यर्थियों को उनके मेधा क्रमांक पर बिहार प्रशासनिक सेवा के पिछड़े वर्ग की महिला कोटि (BCL-06) के उनकी प्रथम अधिमानता का पद उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें पिछड़े वर्ग कोटि (BC-05) में उपलब्ध क्रमशः श्रम अधीक्षक, अवर निर्वाचन पदाधिकारी एवं श्रम अधीक्षक के पद आवंटित किए गए।

उक्त वादों की सम्मिलित सुनवाई के क्रम में दिनांक 10.04.2018 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा यह जानकारी मांगी गई है कि यदि उक्त याचिकाओं को स्वीकृत कर लिया जाए एवं उक्त तीन अभ्यर्थियों को पिछड़े वर्ग की महिला कोटि (BCL-06) का पद आवंटित किया जाता है, तो कितने उम्मीदवारों की सेवा में परिवर्तन तथा कितने उम्मीदवार सेवा से बाहर हो जाएंगे।

इस संबंध में कार्यालय स्तर पर 48वीं से 52वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की संयुक्त मेधा सूची/आवंटन सूची का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुसार यदि उक्त याचिकाओं को स्वीकृत कर लिया जाए एवं उक्त तीन अभ्यर्थियों को पिछड़े वर्ग की महिला कोटि (BCL-06) का पद आवंटित किया जाता है, तो पूर्व प्रकाशित परीक्षाफल/अनुशंसा/पद आवंटन में परिवर्तन होगा। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में आयोग द्वारा पूरक प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया था।

तत्पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा वादों की सम्मिलित सुनवाई के बाद दिनांक 25.09.2019 को पारित आदेश द्वारा उक्त याचिकाओं को स्वीकृत करते हुए निम्न आदेश पारित किया गया:-

".....34. In this view of the matter, this Court issues writ of mandamus, directing the respondents that the petitioners who have secured better position in the merit list of Backward Class category than to the candidates than to the candidates selected under Backward Class Female category, be allowed to be migrated to the corresponding posts earmarked for Backward Class Female candidates in place of those seats which have been allotted to those persons and appointed against the vacancy reserved for Backward Female category candidates, after giving the benefit of migration from Backward Class to Woman Backward Class, in the result the vacancy left, the same would be filled up by those who are in the merit list of Backward Class category. This order should be carried out within a period of three months from the dated of receipt/production of a copy of this order.

35. With the aforesaid observations and directions, these writ petitions are allowed."

उल्लेख करना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश से प्रभावित अभ्यर्थियों (Appellant) एवं आयोग द्वारा अपीलवाद दायर किया गया। सम्प्रति उक्त विज्ञापन/प्रतियोगिता परीक्षा से सम्बन्धित दायर सभी अपीलवादों की समेकित सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 06.02.2024 को निम्न प्रकार आदेश पारित किया गया है:-


"..... 3. Undisputedly, it is an admitted fact that BPSC, while preparing select list have committed error in respect of assigning ranking to the respective Backward Class Category in respect of three persons, namely, Sujata Singh, Smt. Ratna Prasad and Jagriti Prabhat. If, the order of the learned Single Judge is to be implemented, three of the contesting respondents services are likely to be disturbed.

4. Therefore, it is reliably learnt that if the learned Single Judge order is implemented in that event the aforementioned three persons were required to be adjusted in the Bihar Administration Department, if the vacancies are available they may be adjusted while extending service benefit from the date of their initial appointment. If the vacancies are not available in that event for no fault of the contesting respondents and appellants/candidates, there will be administrative chaos. In order to avoid administrative chaos the State Government is requested to take a decision in respect of creating three supernumerary post in the administration department to accommodate three persons, namely, Sujata Singh, Smt. Ratna Prasad and Jagriti Prabhat."

उक्त सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा माननीय न्यायालय, पटना के आदेश के अनुपालन में बिहार प्रशासनिक सेवा की रिक्तियाँ उपलब्ध होने की सूचना दी गयी है, जिसके विरुद्ध उक्त 03 (तीन) याचिकाकर्ताओं का पूर्व प्रकाशित परीक्षाफल निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है:-

SL. NO.	MERIT SERIAL	NAME OF THE CANDIDATE/ PETITIONER	ROLL	RES. CATEGORY	ALLOTMENT AS PER PREVIOUS RESULT	REVISED ALLOTMENT
1.	233	RATNA PRASAD	288241	05, 06	LS (05-01)	BAS(06-01)
2.	243	JAGRITI PRABHAT	123246	05, 06	SEO (05-01)	BAS(06-02)
3.	253	SUJATA SINGH	133704	05, 06	LS(05-03)	BAS(06-03)

तिथि: 01 मार्च, 2024

  
01/03/24  
परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना